छोटे और मध्यम शहरों का विकास (आईडीएसएमटी)

संशोधित दिशानिर्देश - 1995

भारत सरकार
शहरी मामले और रोजगार मंत्रालय
शहरी विकास विभाग
नई दिल्ली
अगस्त, 1995

विषय-सूची

1. परिचय
2. उद्देश्य
3. व्याप्ति
4. घटक
5. वित्तपोषण का प्रारूप
6. केन्द्रीय सहायता जारी करना
7. राज्य शहर विकास कार्यनीति
8. राज्य/जिला/शहर/कस्बा सतर पर शहरी विकास योजनाएं
9. राज्य/नगरपालिका कस्बा विकास निधि
10. राज्य शहर विकास एजेन्सी
11. क्षेत्रीय /गौण विकास
12. कस्बा/नगरपालिका नीति सुधार
13. स्कीम का मूल्यांकन
14. स्वीकृति का तरीका
15. परियोजना रिपोर्ट तैयार करने/व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए सहायता

16 पर्यवेक्षण और मूल्यांकन

17. प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण
16. विविध

अनुलग्नक

i) आईडीएसएमटी स्कीम के तहत व्याप्ति के लिए वृद्धि केन्द्रों की पहचान हेतु सूचक दिशानिर्देश (अनुबंध -I)

ii) राज्य शहर विकास कार्यनीति के दस्तावेज तैयार करने के लिए सूचक दिशानिर्देश (अनुबंध II)

iii) कस्बा/शहर विकास की योजनाएं तैयार करने के लिए सूचक दिशानिर्देश (अनुबंध - III)

iv) आईडीएसएमटी स्कीम के तहत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए दिशानिर्देश (अनुबंध -IV)

1. परिचय

1.1 केन्द्र प्रायोजित छोटे और मध्यम शहरों के एकीकृत विकास की स्कीम (आईडीएसएमटी) छठी योजना (1979-80) में प्रारंभ की गई थी और यह सातवीं और आठवीं योजनाओं में जारी रही। इसका प्रमुख उद्देश्य चयनित छोटे और मध्यम कस्बों जो आर्थिक वृद्धि और रोजगार उत्पन्न करने में समर्थ हों, का विकास करके ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे कस्बों से बडे शहरों में प्रवजन को कम करना है। सामान्यत: गांवों और कस्बों से शहरों की ओर प्रवजन रोजगार और आय के अवसरों की तलाश के लिए होता है। यह प्रत्याशा कि शहरों में रोजगार के बहुत से अवसर हैं और बेहतर जीवन दशाएं हैं, के साथ "गरीबी के कारण पलायन" और "समृद्धि के कारण प्रवजन" आदि कारक इसके लिए जिम्मेदार हैं। इसके अतिरिक्त, "समृद्धि आकर्षित करती है" की दशाएं कृषिगत कार्यकलापों के आधुनिकीकरण के कारण श्रम के आधिक्य की ओर बढाती हैं। शहरीकरण पर राष्ट्रीय आयोग ने देश के विभिन्न भागों में प्रवजन के विविध प्रकार "समृद्धिगत पलायन", "गरीबी के कारण पलायन" और "समृद्धि के कारण प्रवजन" के समर्थन में प्रमाण जुटाए हैं। आईडीएसएमटी स्कीम का उद्देश्य क्षेत्रीय विकास केन्द्रों के रूप में छोटे और मध्यम कस्बों का विकास करके बडे और महानगरों की ओर प्रवजन को कम करना है। पूरक की स्थापना, गावों, कस्बों और शहरों के बीच संपर्क के माध्यम से, समायोजन के व्यवस्थित प्रारूप की परिकल्पना की गई है।

1.2 आठवीं पंचवर्षीय योजना की मध्यावधि समीक्षा के दौरान, आईडीएसएमटी स्कीम के कार्यान्वयन के लिए वर्तमान दिशानिर्देशों पर विचार की आवश्यकता महसूस की गई। इसमें संविधान (74वां संशोधन) अधिनियम, 1992 और आर्थिक सुधार जिनमें निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए विकास केन्द्रों की क्षमता के विस्तार की दृष्टि से इनमें अवसंरचना और सेवा सुविधाओं के सशक्तिकरण पर बल दिया गया है, शामिल हैं। तद्नुसार, वर्तमान आईडीएसएमटी स्कीम के दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया है। संशोधित दिशानिर्देश इस प्रकार हैं।

2. उद्देश्य

आईडीएसएमटी स्कीम के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

क) आर्थिक वृद्धि और रोजगार के क्षेत्रीय केन्द्रों के रूप में उभरने की संभाव्यता वाले छोटे और मध्यम कस्बों में स्थायी सार्वजनिक संपत्तियों के सृजन में सहायता करना तथा बुनियादी सुविधाओं में सुधार करना, ताकि फलस्वरूप ग्रामीण और छोटे कस्बों से बडे शहरों और कस्बों की ओर व्यक्तियों के रोजगार हेतु प्रवजन की प्रेरणा कम मिले।

ख) क्षेत्रीय नियोजन उपागम के माध्यम से गांवों, कस्बों और शहरों के बीच क्रियात्मक अंतर्संपर्क का लाभ उठाते हुए आर्थिक वृद्धि और रोजगार अवसरों का विकेन्द्रीकरण करना और विकेन्द्रित शहरीकरण को बढावा देना।

ग) आवास, वाणिज्यिक और औद्योगिक प्रयोग के लिए सेवा स्थलों की उपलबधता बढाना तथा नियोजित और व्यवस्थित स्थानिक विकास के सिद्धांतों को बढावा देना।

घ) संविधान (74वां संशोधन) अधिनियम, 1992 में पकिल्पित अनुसार स्थानीय और सामाजिक-आर्थिक नियोजन का समन्वय करना तथा कस्बा/शहर विकास योजनाओं का कार्यान्वयन करना।

ङ) शहरी स्थानीय निकायों की सकल वित्तीय स्थिति और अपने संसाधनों से दीर्घकालिक अवसंरचना विकास कार्यक्रम बनाने की क्षमता में सुधार के साथ-साथ उनकी पूंजीगत उधारी तथा आवश्यक नगरपालिका सुधारों के संचालन हेतु भुगतान के लिए उन्हें सक्षम बनाने के लिए स्रोत जुटाने की स्कीमों को बढावा देना।

3. व्याप्ति (कवरेज)

3.1 आईडीएसएमटी 5 लाख तक जनसंख्या वाले कस्बों/शहरों के लिए इस प्रावधान के तहत कि किसी योजना के लिए प्रत्येक वर्षउपलब्ध कुल राशि का लगभग 1/3 भाग 50,000 से कम जनसंख्या वाले कस्बों को आवंटित किया जाएगा, लागू होगी। आईडीएसएमटी के तहत सहायता के उद्देश्य कस्बों को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है:

जनसंख्या	**श्रेणी**
20,0000 से कम	क
20,0000- 50,000	ख
50,0000- 100,000	ग
100,000- 300,000	घ
300,000- 500,000	ङ

आईडीएसएमटी प्रधानमंत्री एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (आईयूपीईपी) के तहत शामिल कस्बों अर्थात श्रेणी ग के लिए लागू नहीं होगी। इन कस्बों के लिए, परियोजनाएं आईडीएसएमटी और आईयूपीईपी, दोनों के दिशानिर्देशों का अनुपालन (जहां तक संभव हो) करते हुए बनाई जाएंगी।

3.2 संविधान (74 वां संशोधन) अधिनियम के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए,यह स्कीम केवल उन कस्बों पर लागू होगी जहां स्थानीय निकायों के चुनाव करवाए गए हैं और निर्वाचित निकाय कार्य कर रहे हैं।

3.3 आईडीएसएमटी के तहत क्षेत्रीय विकास केंद्र के रूप में विकास की क्षमता वाले शहरों के चयन में जिलों के मुख्यालयों, मंडी शहरों और औद्योगिक विकास केन्द्रों (कृषि और उद्योग मंत्रालय द्वारा क्रमशः पर्यटक स्थल, तीर्थाटन केंद्रों के रूप में अभिज्ञान आदि) को वरीयता दी जाएगी। इस स्क्रीम में

औद्योगिक सम्पदा को शामिल नहीं किया जाएगा, जबकि औद्योगिक विकास केन्द्रों को आईडीएसएमटी तथा औद्योगिक विकास विभाग की विकास केन्द्र योजना के तहत दिए गए अवसंरचना के प्रावधान में ओवरलैपिंग को रोकने के लिए आवश्यक सावधानी रखते हुए शामिल किया जा सकता है। राज्य सरकारें अपनी राज्य शहर विकास कार्यनीतियों के अनुसार कस्बों की पहचान करेंगी। आईडीएसएमटी स्कीम के तहत शामिल किए जाने के लिए कस्बों की पहचान के लिए सूचक दिशानिर्देश अनुलग्नक-I में दिए गए हैं।

3.4 20,000 से कम जनसंख्या वाले कस्बे प्रकृति से शहर की तुलना में ग्राम अधिक लगते हैं। तथापि, 1991 की जनगणना के अनुसार ऐसे केन्द्रों को कस्बों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और संभावित विकास केन्द्रों के रूप में पहचाना गया है। आईडीएसएमटी के तहत केन्द्रीय सहायता दी जा सकती है।

4. घटक

4.1 आईडीएसएमटी के तहत सहायता के लिए घटकों में शहर/कस्बा विकास/मास्टर प्लान शामिल होंगे जिन्हें शहरों और कस्बों को अधिसूचित करना है। उदाहरण के लिए सूची इस प्रकार है:

- मास्टर प्लान में सडक सुविधाओं को सशक्त करना जिसमें सर्कल, मुख्य मार्गीय बाईपास/संपर्क सडकें और छोटे पुल शामिल हैं।
- साइट और सेवाएं,
- बस/ट्रक टर्मिनलों का विकास,
- स्टोर्मवाटर चैनलों सहित मास्टर प्लान नालियों का निर्माण/उन्नयन,
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन,
- बाजार परिसरों/शॉपिंग सेंटर का विकास।
- पर्यटन सुविधाओं के लिए प्रावधान,
- शहर/नगर पार्क का विकास,
- मास्टर प्लान की सड़कों के लिए प्रकाश व्यवस्था,
- बूचडखाना,
- बड़ी सार्वजनिक सुविधाएं जैसे गार्डन, खेल के मैदान, विवाह हॉल, भुगतान पर उपयोग वाले शौचालय आदि
- साइकिल/रिक्शा स्टेण्ड,
- यातायात सुधार और प्रबंधन योजनाएं,
- हिल स्टेशन शहरों में दीवारों और ढलान की स्थिरता बनाए रखने के लिए विनिर्माण
- विशेष रूप से कमजोर वर्गों के लिए सामाजिक सुविधाएं।

4.2 आईडीएसएमटी कस्बों में जलापूर्ति के लिए स्कीमें हडको/एलआईसी/बाह्य सहायता प्राप्त अवसंरचना उधार कार्यक्रमों और केन्द्र प्रायोजित एयूडब्ल्यूएसपी त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम (20,000 से कम जनसंख्या वाले कस्बों के लिए लागू) के तहत प्रारंभ की जाएंगी/सहायता जी जाएगी।

4.3 राज्य सरकार या स्थानीय निकायों के स्वामित्व वाली भूमि की लागत आईडीएसएमटी के तहत वित्त पोषित नहीं की जाएगी। भूमि की लागत केवल उन्हीं मामलों में परियोजना लागत का भाग बन सकती है जहां भूमि निजी पार्टियों से अर्जित की जानी है। तथापि, ऐसे मामलों में केन्द्रीय सहायता अधिग्रहण की लागत के 25% की सीलिंग की शर्त के तहत होगी। आईडीएसएमटी परियोजना के प्रस्तावों को तैयार किए जाने से पूर्व संबंधित शहर/कस्बे द्वारा अग्रिम कार्रवाई प्रारंभ की जानी चाहिए और अधिग्रहण की स्थिति परियोजना रिपोर्ट में दर्शाई जानी चाहिए। साइट और सेवा परियोजनाओं को इस शर्त के तहत शामिल किया जा सकता है कि भूमि के अधिकार उपलब्ध हैं और उन पर कोई विवाद नहीं है। सेवा साइटों के लिए वित्तपोषण अल्पकालिक होगा ताकि कार्यान्वित करने वाली एजेंसियां भूमि को तेजी से विकसित करें।

4.4 स्कीम के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, मजदूरी पर रोजगार के घटक को आईडीएसएमटी के तहत वित्तपोषण के लिए विचार नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार, स्टाफ की लागत की अनुमति नहीं होगी।

4.5 कार्यान्वयन एजेंसियों को बास्केट टाइप अप्रोच अपनाना होगा ताकि लाभरहित परियोजनाओं और कमजोर वर्गों के लिए किए गए व्यय की भरपाई लाभदायक घटकों जैसे बाजार, शॉपिंग सेंटर, बस और ट्रक टमिनल आदि से प्राप्त पर्याप्त लाभ से की जा सके। वाणिज्यिक, लागत वसूली या उपभोक्ता प्रभार आधारित और लाभ रहित परियोजनाओं के बीच सूचक अनुपात 40:30:30 है। तथापि, यह कस्बों की वरियताओं और शामिल ऋण घटक के आधार पर विभिन्न आकार के कस्बों के लिए अलग-अलग हो सकता है।

5. वित्तपोषण प्रतिरूप

5.1 आईडीएसएमटी योजना के तहत वित्तीय प्रतिरूप केा नीचे सारणी में दर्शाया गया है:-

(लाख रु. में)

शहरों की श्रेणी (जनसंख्या)	परियोजना लागत	केन्द्रीय सहायता (अनुदान) अधिकतम	राज्य का हिस्सा (अनुदान)	हडको/वित्तीय संस्थान से ऋण/अन्य स्रोत
क (20000 से कम)	**100**	**40**	**32**	**20 (20%)**
ख (20000-50000)	**200**	**90**	**60**	**50 (25%)**
ग (50000-100000)	**350**	**150**	**100**	**100 (29%)**
घ (1-3 लाख)	**550**	**210**	**140**	**200 (36%)**

ङ (3-5 लाख)	**750**	**270**	**180**	**300 (40%)**

उपर्युक्त परियोजना लागत "न्यूनतम परियोजना लागत" की अवधारण पर आधारित है। बडे परियोजना आकार के लिए बडे ऋण/नगरपालिका के शेयर सहित अन्य स्रोतों की उपलब्धता आवश्यक शर्त है। उद्देश्य यह देखना है कि उपलब्ध निधियां विरलता से न बांटी जाएं और अपेक्षित अवसंरचनात्मक और सेवा सुविधाओं सहित रोजगार मिले।

5.2 केन्द्रीय सहायता की सीमा होने पर भी, राज्य सरकारों/स्थानीय निकायों पर अपने संसाधनों/ सांस्थानिक ऋण एजेंसियों से धनराशि प्राप्त करने पर कोई सीलिंग नहीं है ताकि परियोजनाओं को व्यवहार्य बनाया जा सके और "एकीकृत" विकास सुनिश्चित हो सके।

5.3 विभिन्न क्षेत्रों जैसे जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर के राज्यों में भौगोलिक और अन्य कारकों का ध्यान रखते हुए निर्धारित मानदण्डों में उपयुक्त संशोधन योजना आयोग के परामर्श से शहरी विकास और रोजगार मंत्रालय द्वारा किए जाएंगे।

5.4 आईडीएसएमटी परियोजनाएं बनाते और लागू करने में, राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों को निजी सेक्टर को शामिल करना चाहिए या संभावित सीमा तक सार्वजनिक निजी साझेदारी को अपनाना चाहिए। निजी सेक्टर को शामिल करने की रीतियां आईडीएसएमटी परियोजना रिपोर्ट में दर्शाई जानी चाहिए। निजी वित्तपोषण आईडीएसएमटी स्कीम के तहत परिकल्पित सांस्थानिक वित्तपोषण का स्थानापन्न होगी।

6. केन्द्रीय सहायता जारी करना

6.1 आईडीएसएमटी स्कीम के तहत केन्द्र सरकार का भाग राज्य सरकार को अनुदान के रूप में दिया जाएगा। केन्द्र और राज्य सरकार दोनों के भाग नगरपालिका स्तर तक विशेष रिवॉल्विंग फण्ड के लिए अनुदान के रूप में रहेगा। तथापि, परियोजनाओं की प्रकृति के आधार पर, केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा दी गई राशियों का केवल 25% 'लाभरहित परियोजनाओं के मामले में वित्त' से पूर्ण अनुदान के रूप में लिया जा सकेगा। शेष 75% राशि कॉर्पस के रूप में मानी जाएगी जिसे छोटे और मध्यम कस्बों के अस्थिर राजस्व आधार के कारण स्वयं धारणीय विकास के लिए रिवॉल्विंग फण्ड में वापस किया जाएगा। श्रेणी क और ख के कस्बों के मामले में फण्ड में राशि 10 वर्षों की अवधि में वापस आएगी। अन्य कस्बों के लिए यह अवधि 7 वर्ष होगी। लागत वसूली (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष) परियोजनाओं का भाग होगी ताकि रिवॉल्विंग फण्ड निरंतर अवसंरचनात्मक परियोजनाओं को सहायता देता रहे। इसलिए, जहां तक परियोजनाओं का संबंध है, आईडीएसएमटी सकीम के तहत केन्द्र और राज्य के भाग अनुदान के रूप में होंगे, उपयुक्त तंत्रों जैसे किराया, प्रीमियम, जमा के संग्रहण, बिक्री से आय, उपयोक्ता प्रभार बेटरमेंट लेवी, इंपेक्ट शुल्क, विकास प्रभार, संपत्ति कर में बढोतरी आदि के

माध्यम से ससांधन पुनः प्राप्त किए जाएंगे और इन प्राप्तियों को रिवॉल्विंग फण्ड में जमा किया जाएगा।

6.2 केन्द्र से अनुदान के रूप में जारी की गई राशि राज्य सरकार या इसके द्वारा नियुक्त विशिष्ट एजेन्सी के माध्यम से रूट की जाएगी ताकि जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके और लेखों का उचित रखरखाव किया जा सके। राज्य सरकारें/केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासन उन वित्तीय संस्थानों की पहचान करेंगे जो अपेक्षित निवेश के वित्तपोषण हेतु रुचि दर्शाती हैं और केन्द्रीय सहायता जारी करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय भारत सरकार केा अपनी वित्तीय मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

6.3 केन्द्र सरकार से धनराशि जारी किया जाना निम्नलिखित पर निर्भर करेगाः (i) पूर्व में जारी की गई धनराशि के उपयोग प्रमाण सहित परियोजना निष्पादन, (ii) राज्य के भाग की उपलब्धता, (iii) नगरपालिका विकास फण्ड के सृजन के लिए मानदण्ड सहित स्कीम के दिशानिर्देशों के साथ प्रस्तावित परियोजनाओं की अनुरूपता, (iv) सांस्थानिक वित्त जुटाना और स्कीम में परिकल्पित अनुसार नीति सुधारों की प्रगति, जिसमें संविधान (74 संशोधन) अधिनियम में अपेक्षित अनुसार शहरी सेक्टर के सुधारों के माध्यम बनने की अपेक्षा की गई है।

6.4 केन्द्र का भाग किश्तों में जारी किया जाएगा: दूसरी और इसके बाद की किश्तें जारी करने के लिए, सभी श्रेणियों के कस्बों को इस शर्त को पूरा करना होगा कि बाद की किश्तों को जारी करने के लिए अर्हक व्यय पूर्व में जारी किए गए राज्य सरकार के भाग के साथ केन्द्रीय सहायता के 70 प्रतिशत से अधिक है।

6.5 स्थानीय निकायों द्वारा अनुमोनित कार्यक्रमों के संबंध में केन्द्रीय सहायता, राज्य के भाग और वित्तीय संस्थानों से ऋण के लिए अलग-अलग लेखा पुस्तकें रखी जाएंगी और इन्हें किन्हीं अन्य निधियों के साथ मिलाया नहीं जाएगा। आईडीएसएमटी फण्ड को एक पृथक बैंक खाते में जामा किया जाएगा जिसे स्थानीय निकाय के मुख्य कार्यपालक/नगर नियोजक या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से प्रचालित किया जाएगा।

7. राज्य शहर विकास कार्यनीति

7.1 राज्य सरकारों को अगले 10 वर्षों के लिए राज्य शहर विकास कार्यनीति तैयार करनी होगी और आईडीएसएमटी स्कीम के तहत कस्बों का प्रस्ताव करने के विस्तृत कारण देने होंगे। चयन विकास की अवस्था, वृद्धि की संभावना, रोजगार उत्पन्न करने की क्षमता, केन्द्रीयता, नोडल कार्य, अपनी क्षेत्रीय स्थिति में कस्बों का तुलनात्मक महत्व आदि के गहन अध्ययन के बाद सावधानी से किया जाएगा। राज्यों को निर्धारित प्रपत्र में संक्षिप्त प्रस्तावों और अपने राज्य शहर विकास कार्यनीति के दस्तावेजों की प्रतियों के साथ वरीयता के क्रम में चयनित कस्बों की सूची शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय को प्रस्तुत करना आवश्यक है। कार्यनीति में शहरी विकास के लिए स्थानीय/क्षेत्रीय, सामाजिक-आर्थिक, सांस्थानिक और वित्तीय कार्यनीतियां शामिल होंगी।

7.2 राज्य शहर विकास नीति दस्तावेज तैयार करने के लिए मार्गदर्शक दिशानिर्देश अनुलग्नक II में दिए गए हैं। इस दिशानिर्देशों के आधार पर, राज्य सरकारें विकेन्द्रित शहरी विकास के दीर्घकालिक हितों को ध्यान में रखते हुए, विकास केन्दों के रूप में विकसित किये जा सकने वाले छोटे और मध्यम कस्बों की वरीयता सूची की पहचान करेगी। एक बार सूची तैयार/अनुमोदित हो जाने के बाद अलगे पांच वर्षों के लिए इसे बदला नहीं जा सकेगा।

8. राज्य/जिला/शहर/कस्बा स्तर पर शहरी विकास योजनाएं

8.1 राज्य शहर विकास कार्यनीति तथा कस्बा/शहर मास्टर प्लान के अनुसरण में, संविधान (74वां संशोधन) अधिनियम की भावना के अनुरूप नगरपालिकाओं द्वारा कस्बा/शहर विकास (निवेश) योजनाएं तैयार की जाएंगी। आईडीएसएमटी स्कीम के तहत ऐसी योजनाओं और परियोजना रिपोर्टों को तैयार करने में सक्षम बनाने के लिए, केन्द्रीय शहरी अवसंरचना सहायता स्कीम (सीयूआईएसएस) के तहत 50,000 तक जनसंख्या वाले कस्बों के मामले में 3 लाख रुपए, 50,000 से 1 लाख के बीच जनसंख्या वाले कस्बों के लिए 4 लाख रुपए, 1 लाख से 3 लाख तक जनसंख्या वाले कस्बों के लिए 5 लाख रुपए तथा 3 लाख से 5 लाख जनसंख्या वाले कस्बों के लिए 6 लाख रुपए की अग्रिम अनुदान सहायता राज्य सरकार/नगरपालिकाओं (राज्य नोडल एजेंसियों के माध्यम से) को बिना किसी लागत प्रतिबंध के 60 (केन्द्रीय अनुदान): 40 (राज्य का अनुदान) आधार पर उपलब्ध होगी। अतिरिक्त आवश्यकताएं, यदि कोई हैं, संबंधित नगरपालिकाओं द्वारा स्थानीय रूप से पूरी की जाएंगी। केन्द्रीय अनुदान का 50 प्रतिशत टीसीपीओ के माध्यम से शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रस्ताव मिलने पर संग्रहण राशि के रूप में जारी की जाएगी और शेष राशि आईडीएसएमटी परियोजनाओं के अनुमोदन के बाद जारी की जाएगी।

8.2 सीयूआईएसएस के तहत केन्द्रीय सहायता अनुदान जारी करना राज्य के भाग की उपलब्धता के साथ शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय द्वारा तैयार किए जाने वाले विकास योजना/परियोजना दिशानिर्देशों के अनुरूप प्रस्तावों के प्रस्तुत किए जाने पर भी निर्भर करेगा। इन निधियों का उपयोग सामान्य उद्देश्य के मास्टर प्लानों को तैयार करने के लिए नहीं किया जा सकता है और ये निधियां विकास या निवेश योजनाओं और आईडीएसएमटी परियोजना रिपोर्टों के तैयार किए जाने तक सीमित होगा।

8.3 कस्बा/शहर विकास योजनाओं में शहरों/कस्बों, आस-पास के क्षेत्रों और उन क्षेत्र तथा राज्य शहर विकास कार्यनीति की दीर्घकालीन/मध्यकालीन विकास आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए। ये सहभागिता पर आधारित होनी चाहिए जिसमें सामुदायिक समूह, गैर-सरकारी और समुदाय आधारित संगठन आदि शामिल हों।

8.4 कस्बा/शहर विकास योजनाएं तैयार करने हेतु मार्गदर्शक दिशानिर्देश अनुबंध III पर दिए गए हैं।

9. राज्य/नगरपालिका शहर विकास निधि

9.1 सुझाव है कि संविधान (74वां संशोधन) अधिनियम के प्रसंग में किए जाने वाले सुधार कार्यकलापों के भाग के रूप में राज्य स्तर पर एक राज्य शहर/नगरपालिका विकास निधि बनाए ताकि सतत आधार पर अवसंरचना विकास को बढावा देने के लिए पूंजी सहायता दी जा सके। राज्य शहर विकास निधि में आधार/इक्विटी के रूप में प्रयुक्त अनुदान निधियों सहित बाजार से लिए गए ऋण और चयनित/चिह्नित अनुदान शामिल हो सकते हैं। आईडीएसएमटी स्कीमों के लिए ऋण सांस्थानिक ऋण की व्यवस्था न होने पर इस स्रोत से दिए जाएंगे। राज्य शहर/नगरपालिका विकास निधि से नगरपालिकाओं को ऋण नगरपालिका के आकार के आधार पर और निर्धारित नगरपालिका निष्पादन की शर्त पर अलग-अलग ब्याज दरों पर स्वीकृत किए जा सकते हैं। इसी प्रकार की निधियां आईडीएसएमटी और गैर-आईडीएसएमटी नगरपालिकाओं के स्तर पर नगरपालिका स्रोतों से बनाए जा सकते हैं।

9.2 राज्य शहर विकास निधि/नगरपालिका विकास निधि का उद्देश्य अवसंरचना विकास के लिए निधियों को व्यवस्थित रूप से चैनलाइज करना है ताकि राज्य/कस्बा विकास योजनाएं प्रभावी बनाई जा सकें। इस निधि से नगरपालिकाओं में वित्तीय अनुशासन लाया जा सकेगा और यह आईडीएसएमटी के तहत प्रयत्नों के पूरक के रूप में होगी।

10. राज्य शहर विकास एजेन्सी

10.1 सुझाव है कि केन्द्र प्रायोजित और राज्य योजना स्कीमों के तहत जारी की जाने वाले निधियों की व्यवस्था के लिए राज्य स्तर पर राज्य शहर विकास एजेन्सी (एसयूडीए)/शहर विकास वित्त निगम या कोई ऐसी ही संस्था बनाई जाए जो राज्य शहर विकास निधि का प्रबंधन करे, विविध शहरी विकास कार्यक्रमों में समन्वय और उनका पर्यवेक्षण करे। इस एजेन्सी को सोसायटी/कंपनी के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है और इसमें शहरी विकास मंत्री/मुख्य सचिव अध्यक्ष, शहरी विकास सचिव उपाध्यक्ष, निदेशक (स्थानीय मामले)/कोई अन्य उपयुक्त अधिकारी मुख्य कार्यपालक अधिकारी और पूर्णकालिक परियोजना अधिकारी, वित्त विशेषज्ञ, आंकडा और प्रशिक्षण प्रबंधक और कुछ विषय विशेषज्ञ हो सकते हैं। सभी विभाग प्रमुख जैसे निदेशक (नगर नियोजन), मुख्य अभियंता (जन स्वास्थ्य), प्रबंध निदेशक, जलापूर्ति और सीवरेज बोर्ड आदि इस एजेन्सी के पदेन सदस्य हो सकते हैं। इस संस्था के कार्यकारी निकाय में अन्य विभागों के सचिव, एनजीओ के प्रतिनिधि और अवसंरचना प्रावधानों में विशिष्टता रखने वाले निजी संस्थानों के कार्यपालक सदस्य के रूप में हो सकते हैं। यह एजेन्सी राज्य शहर विकास कार्यनीति, राज्य शहर विकास कार्य योजना और परियोजनाओं के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करेगी। प्रस्तावित सांस्थानिक ढांचे के संबंध में राज्य उपयुक्त निर्णय लेंगे।

10.2 जिला स्तर पर आईडीएसएमटी/शहरी विकास परियोजनाओं का समन्वय, पर्यवेक्षण और मूल्यांकन जिला कलेक्टर द्वारा जिला शहर विकास एजेंसियों या पर्यवेक्षण प्रकोष्ठों के माध्यम से किया जा

सकता है। ये एजेंसियां/प्रकोष्ठ बडे शहरों की स्कीमों के पर्यवेक्षण को नगरनिगमों पर छोडते हुए अपना ध्यान छोटे कस्बों और शहरों पर लगाएं। ये एजेंसियां/प्रकोष्ठ संविधान (74 संशोधन) अधिनियम के तहत गठित जिला नियोजन समितियों की सहायता करेंगे।

11. क्षेत्रीय/परिधीय विकास

आईडीएसएमटी के उद्देश्यों की भावना के अनुरूप, शहर/कस्बा विकास योजनाओं में विकास केन्द्रों, उनके सीमित क्षेत्र में आने वाले अन्य क्षेत्रों और क्षेत्र में अन्य महत्वपूर्ण केन्द्रों से संपर्क शामिल होगा। चतुर्भुज विकास और संपर्क मागों के लिए निधियां स्कीमों जैसे जवाहर रोजगार योजना (जेआरवाई) से 'अभिसरण' आधार पर एकत्र की जा सकती हैं। जिला नियोजन समितियां/शहरी विकास एजेन्सियां/पर्यवेक्षण प्रकोष्ठों को उपयुक्त कार्रवाई करनी होगी।

12. शहरी/नगरपालिका नीति सुधार

संभावना है कि आईडीएसएमटी के तहत प्रत्यनों के अनुपूरक के रूप में, राज्य सरकार को नगरपालिका सेक्टर में राजकोषीय और सांस्थानिक सुधारों की उपयुक्त नीतियों का पालन करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अवसंरचनात्मक कमियों की समस्याओं का व्यवस्थित तरीके से निपटान हो। सुधारों के लिए कार्यसूची और कार्य-योजना पर राज्य शहर कार्यनीति और कस्बा विकास योजनाओं/परियोजना रिपोर्टों में विचार विमर्श किया जाए।

13. स्कीम का मूल्यांकन

13.1 टीसीपीओ आईडीएसएमटी परियोजना प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए नोडल एजेन्सी होगी। नगरपालिकाएं/राज्य सरकारें टीसीपीओं को परियोजना रिपोर्ट स्वीकृति समिति की बैठक की तारीख से कम से कम 15 दिन पूर्व भेजेंगे। आईडीएसएमटी परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए मार्गदर्शक दिशानिर्देश अनुबंध IV पर दिए गए हैं। टीसीपीओ प्रस्तावों की जांच करेगा और मूल्यांकन रिपोर्टों को राज्य स्तर पर आईडीएसएमटी स्वीकृति समितियों को प्रस्तुत करेगा। मूल्यांकन करते समय टीसीपीओ सुनिश्चित करेगा कि:

i) प्रस्ताव के घटक आईडीएसएमटी दिशानिर्देशों के अनुरूप हों,

ii) वे राज्यशहर कार्यनीति और राज्य सरकार/केन्द्रशासित प्रदेश की सरकार की वरीयताओं के अनुरूप हों।

iii) ये प्रस्ताव शहर में सेवाओं और उपयोगिताओं में कस्बों की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हों,

iv) ये प्रस्ताव कस्बे के मास्टर प्लान/विकास योजना के अनुरूप हों,

v) प्रस्तावों में लागत वसूली, रिवॉल्विंग निधि और नगरपालिका सुधारों के लिए कार्य योजना शामिल हो।

13.2 नगरपालिकाओं/राज्य सरकारों के लिए सांस्थानिक ऋण की आवश्यकताओं के संबंध में हडको/अन्य वित्तीय संस्थानों को प्रस्ताव भेजना भी आवश्यक है। ऋण घटकों के लिए प्रस्तावों का मूल्यांकन करते समय हडको/अन्य वित्तीय संस्थान निम्नलिखित पहलुओं पर ध्यान देंगे:

i) प्रौद्योगिकी का उपयुक्त होना,

ii) लागत लाभ अनुमान,

iii) वित्तीय व्यवहार्यता/परियोजना के प्रतिफल आदि।

iv) ऋणियों की वित्तीय सुदृढता/संसाधन जुटाने की योजनाएं।

v) ऋण के भुगतान और रिवॉल्विंग निधि बनाने की समय-सीमा

13.3 केन्द्रीय सहायता जारी करने हेतु विचार के लिए परियोजनाओं के लिए मूल्यांकन रिपोर्टों का सार, आईडीएसएमटी स्वीकृति समिति की इन पर सिफारिशें और हडको/वित्तीय संस्थान से सांस्थानिक ऋण उपलब्ध करा देने के संबंध में स्वीकृति पत्र राज्य सरकार/नोडल एजेन्सी द्वारा शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय को मुख्य नियोजक, टीसीपीओ के माध्यम से भेजे जाएंगे।

13.4 नगरपालिकाओं/राज्यों द्वारा परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए मार्गदर्शक दिशानिर्देश अनुबंध IV में दिए गए हैं।

14. चयन का तरीका

14.1 राज्य स्तर पर एक स्वीकृति समिति टीसीपीओ/हडको/वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रस्तुत आईडीएसएमटी मूल्यांकन रिपोर्टों पर विचार करेगी। स्वीकृति समिति के अनुमोदन के बाद, सिफारिशें (बैठक के कार्यवृत्त के साथ) शहरी विकास और रोजगार मंत्रालय को टीसीपीओ के माध्यम से केन्द्रीय सहायता जारी करनेके लिए भेजी जाएंगी।

14.2 राज्य स्तर पर आईडीएसएमटी स्वीकृति समिति का गठन इस प्रकार होगा:

सचिव, शहरी विकास/स्थानीय निकाय (आईडीएसएमटी के प्रभारी)	अध्यक्ष
सचिव, वित्त	सदस्य
निदेशक (नगर एवं ग्राम नियोजन)	सदस्य
आयुक्त/निदेशक (नगरपालिका प्रशासन)	सदस्य
एमयूएएंडई के प्रतिनिधि	सदस्य
योजना आयोग के प्रतिनिधि	सदस्य
टीसीपीओ के प्रतिनिधि	सदस्य
वित्तीय संस्थान/हडको से प्रतिनिधि	आमंत्रित

राज्य सरकारें राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के संगठन में परिवर्तन कर सकती है, यदि ऐसी अपेक्षा व्यक्त की जाती है। निदेशक (नगर एवं ग्राम नियोजन) या निदेशक (नगरपालिका प्रशासन) को संयोजक बनाया जा सकता है। शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय अपने मंत्रालय, टीसीपीओ और योजना आयोग से प्रतिनिधियों के नाम राज्य सरकारों को प्रेषित करेगा।

14.3 स्वीकृति समिति की विचार सूची में निम्नलिखित शामिल है:

क. स्थानीय निकायों द्वारा प्रस्तुत आईडीएसएमटी परियोजना रिपोर्टों को मूल्यांकन रिपोर्टों को ध्यान में रखते हुए जांच कर अनुमोदिन करना।

ख. स्कीम के तहत निधि जुटाने और विविध परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति का समय-समय पर पर्यवेक्षण करना;

ग. स्कीम के बडे उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए इसके कार्यान्वयन की समीक्षा और यह सुनिश्चित करना कि किए जा रहे कार्यक्रम दिए गए दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं।

घ. प्रचालन एजेंसियों द्वारा समय-समय पर उठाए गए मुद्दों पर विचार करना तथा उपयुक्त कार्रवाई करना, यदि आवश्यक हो, तो एमयूएएंडई/योजना आयोग से सलाह लेना।

ड. राज्य सरकार और टीसीपीओ के माध्यम से केन्द्रीय सहायता जारी करने के लिए एमयूएएंडई को सिफारिश करना।

च. नगरपालिका सुधारों की प्रगति की समीक्षा और राज्य सरकार द्वारा विचार के लिए उपयुक्त माने जाने वाले मामले उठाना।

14.4 स्वीकृति समिति मूल उद्देश्यों, दिए गए महत्वपूर्ण पैरामीटरों और इस संबंध में शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय द्वारा समय समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए परियोजनाओं को स्वीकृति देना। इस स्कीम का उद्देश्य आवश्यक अवसंरचना उपलब्ध कराना है जो चयनित विकास केन्द्रों में अवसंरचना की गुणवत्ता को सुधारेगा। ऐसी परियोजनाएं जो दिशानिर्देशों का पालन नहीं करती या मंत्रालय द्वारा बताई गई परियोजनाओं की नकारात्मक सूची में शामिल हैं, केन्द्रीय सहायता हेतु पात्र नहीं होंगी।

14.5 स्वीकृति समिति नए कस्बों के संबंध में परियोजनाओं और पुराने कस्बों के मामले में केवल नई परियोजनाओं पर विचार करेगी। भारत सरकार द्वारा टीसीपीओ के माध्यम से राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर, संयुक्त सचिव (शहरी विकास) पिछले वर्षों में स्वीकृत चालू स्कीमों के लिए केन्द्रीय सहातया की दूसरी और बाद की किश्तों जारी करने हेतु सक्षम होंगे।

14.6 एक घटक के लिए आबंटित निधियों का उपयोग दूसरे घटक के लिए नहीं किया जा सकेगा, न ही भारत सरकार के अनुमोदन के बिना एक कस्बे के लिए आबंटित निधियों का उपयोग दूसरे कस्बे के लिए किया जा सकेगा।

15. परियोजना रिपोर्ट तैयार करने/व्यवहार्यता अध्ययन के लिए सहायता

15.1 राज्य सरकारों/केन्द्रशासित प्रदेश प्रशासन को ऐसे स्थानीय निकायों की पहचान करनी होगी जिन्हें अवसंरचना विकास के लिए विकास योजनाएं बनाने/व्यवहार्यता अध्ययन करने/परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। केन्द्र सरकार से वित्तपोषण भाग में दर्शाए अनुसार होगा। राज्य सरकारें/नगरपालिकाएं इस संबंध में परामर्शदाता नियुक्त करने या नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन (टीसीपीओ) की सहायता लेने के लिए स्वतंत्र हैं। उन्हें ऐसी एजेंसियों जो परामर्शी सेवाएं दे सकेंगी, की सूचना देनी होगी जिसके लिए वित्तीय सहायता आवश्यक है। विस्तृत शर्तें, कार्य की प्रकृति, वित्तपोषण की आवश्यकता और समय-सीमा आदि का वित्तपोषण के लिए प्रस्ताव में ब्यौरा देना आवश्यक होगा।

15.2 सीयूआईएसएस के तहत सहायता अनुदान के लिए प्रस्ताव मुख्य नियोजक, टीसीपीओ, नई दिल्ली को प्रस्तुत करने चाहिए। टीसीपीओ आईडीएसएमटी और सीयूआईएसएस दिशानिर्देशों के आधार पर प्रस्तावों की जांच, कस्बों की तकनीकी क्षमताओं और आर्थिक आधार का मूल्यांकन करेगा तथा शहरी विकास और रोजगार मंत्रालय के विचारार्थ प्रस्तुत करेगा।

16. पर्यवेक्षण और मूल्यांकन

आईडीएसएमटी स्कीम के तहत परियोजनाओं का पर्यवेक्षण और मूल्यांकन टीसीपीओ द्वारा किया जाएगा। राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासन/नोडल एजेंसियों/नगरपालिकाओं द्वारा तिमाही प्रगति रिपोर्ट मुख्य नियोजक, टीसीपीओ को निर्धारित प्रपत्र में भेजी जानी चाहिए। टीसीपीओ आईडीएसएमटी योजना के तहत प्रगति की सूचना मंत्रालय को देगा। परियोजनाओं का निरीक्षण टीसीपीओ/शहरी विकास और रोजगार मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश के प्रतिनिधियों के साथ शहरी विकास और रोजगार मंत्रालय वास्तविक और वित्तीय प्रगति की समीक्षा नियमित अंतराल पर करेगा। टीसीपीओ शहरी विकास और रोजगार मंत्रालय के साथ परामर्श से आईडीएसएमटी पर एक स्थिति रिपोर्ट प्रति वर्ष (30 अप्रैल तक) तैयार करने के लिए जिम्मेदार होगा।

17. प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण

केन्द्र और राज्य सरकारों को आईडीएसएमटी स्कीम की परियोजना रिपोर्ट तैयार करने और कार्यान्वित करने वाले कार्मिकों के प्रशिक्षण और कौशल में सुधार के लिए निरंतर प्रयत्न करने होंगे। इस उद्देश्य के लिए टीसीपीओ/हडको द्वारा अल्पकालिक अभिमुखीकरण कार्यशालाएं/पाठयक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रशिक्षण के लिए वित्तपोषण की व्यवस्था शहरी विकास और रोजगार मंत्रालय की अनुसंधान और प्रशिक्षण बजट के तहत उपलब्ध होगी। टीसीपीओ आईडीएसएमटी स्कीम के तहत प्रशिक्षण के लिए नोडल एजेन्सी होगा।

18. विविध

18.1 सातवीं योजना से आगे आईडीएसएमटी स्कीम के तहत पहले से ही अनुमोदित परियोजनाओं के संबंध में कस्बों को सहायता परियोजनाओं की शुरूआत, उनके पूरे होने की समयसीमा और राज्य के भाग सहित वार्षिक बजटीय प्रावधानों के आधार पर पुराने वित्तीय नमूने के अनुसार जारी रहेगी। तथापि,ऐसे कस्बे संशोधित आईडीएसएमटी दिशानिर्देशों के तहत अतिरिक्त परियोजनाओं के लिए पात्र होंगे, यदि वे इन दिशानिर्देशों के अनुसार पात्र हैं। ऐसे मामलों में पुराने और नए दोनों पैटर्न के आधार पर केन्द्रीय सहायता अधिकतम अनुमेय सीमा से अधिक नहीं होगी।

18.2 पूर्ववर्ती वित्तीय पैटर्न के तहत अनुमोदत वे परियोजनाएं जिनके लिए राज्य का भाग जारी नहीं किया गया है और जो 1995-96 तक प्रारंभ नहीं हुई हैं, केन्द्रीय सहायता आगे जारी रखने के लिए पात्र नहीं होंगी।

18.3 शहरी विकास और रोजगार मंत्रालय, स्कीम के प्रारंभ होने पर वित्तीय पैटर्न को प्रभावित करने वाले प्रावधानों के अतिरिक्त आईडीएसएमटी स्कीम दिशानिर्देशों में आवश्यक परिवर्तन करेगा, यदि ऐसे परिवर्तन करना आवश्यक हो।